

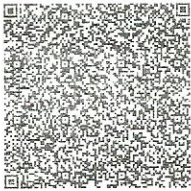
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK21778989733400U
 Certificate Issued Date : 02-Dec-2022 10:18 AM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1315404/ DOIWALA/ UK-DH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK131540449112314838005U
 Purchased by : SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY
 Description of Document : Article Miscellaneous
 Property Description : NA
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY
 Second Party : NA
 Stamp Duty Paid By : SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



रमन
 स्टाप ड्यूटी नं. 132
 मो. 132

Please write or type below this line

[Signature]
 Chief Medical Superintendent
 Himalayan Hospital
 (A constituent unit of SRHU)
 Swami Ram Nagar, P.O. Jolly Grant
 Dehradun-248140

[Signature]
 सुमेर चन्द
 महाप्रबंधक - एचआरएमडी
 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
 उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय
 देहरादून 248013
 विशिष्ट पहचान संख्या - 6693

करार

यह करार 25 जनवरी, 2023 को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (SRHU), जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत स्थापित विश्वविद्यालय और 2013 के उत्तराखंड अधिनियम संख्या 12 द्वारा अधिनियमित है, इसका पंजीकृत कार्यालय स्वामी राम नगर, पीओ जॉली ग्रांट, देहरादून 248016, उत्तराखंड में अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से अपने शिक्षण अस्पताल "हिमालयन अस्पताल" के नाम से पंजीकृत है। इसके प्रशासन (जिसे इसमें इसके बाद "अस्पताल" कहा जाता है तथा इसके बाद "अस्पताल या प्रथम पक्ष कहा जाएगा जिसमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे)- प्रथम पक्ष

This agreement made on 25th of January 2023 between SWAMI RAM HIMALAYAN UNIVERSITY (SRHU) a university established under section 2(f) of UGC act and enacted vide Uttarakhand Act No. 12 of 2013, having its registered office at Swami Ram Nagar, PO- Jolly Grant, Dehradun 248016, Uttarakhand for its teaching hospital " Himalayan Hospital through its Chief Medical Superintendent (Hereinafter called as " Hospital or the first party)

तथा

AND

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नम्बर-42, सहस्रधारा रोड, देहरादून, 248001, (जिसे इसमें इसके बाद 'नाबार्ड' कहा जाएगा तथा उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष;

National Bank for Agriculture and Rural Development, Uttarakhand Regional Office, Plot No. 42, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun- 248013 (hereinafter Called the "NABARD" which term shall include their representatives, successors and assignees) for the OTHER PART.

के बीच किया गया।

जहाँ तक

दोनों पक्ष निम्नलिखित नियमों और शर्तों से बंधे होने के लिए सहमत हैं जो नाबार्ड के कर्मचारियों और उनके पति/ पत्नी/ आश्रित बच्चों के लिए अस्पताल में इनडोर रोगी के रूप में अच्छा रहेगा:

Both the Parties hereto agree to be bound by the following terms and conditions which will hold good for employees of NABARD and their spouses/ dependent children treated as Indoor patient at the Hospital:

1.	अस्पताल में प्रवेश और उपचार के समय रोगी को नाबार्ड के अधिकृत प्राधिकारी से	When Seeking admission and treatment in the hospital the patient must come with a letter of
----	--	---



34 सुमेर चन्द
महाप्रबंधक - एचआरएमडी
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक


Chief Medical Superintendent
Himalayan Hospital
(A constituent unit of SRHU)
Nagar P.O. Jolly Grant

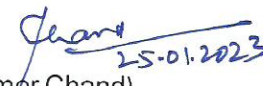
	अधिकार पत्र, के साथ आना चाहिए, जो अस्पताल के प्रशासक को संबोधित हो।	authority from an authorized person of NABARD addressed to the Administrator.
2.	इमरजेंसी के मामले में रोगी को टेलिफोनिक जानकारी के साथ भर्ती किया जा सकता है, उसके बाद हमेशा लिखित संचार का पालन करना चाहिए अर्थात् अगले कार्य दिवस पर प्रवेश के 24 घंटे के भीतर प्रशासक से पत्र प्राप्त करना।	In case of Emergency, the patient may be admitted with telephonic information which should always be followed by the written communication i.e. a letter of authorization within 24 hours of admission of on the following working day
3.	प्राधिकार पत्र पर केवल एक पूर्ण उपचार दिया जाएगा पुनः प्रवेश के लिए एक अलग प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।	Only one complete treatment will be given on the authority letter for re-admission a separate authority letter is required.
4.	यदि मरीज को किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता डॉक्टर के पास भेजा जाता है, तो उनके शुल्क बिल में शामिल किए जाएंगे।	In case the patient is referred to any specialist consultant Doctor, their charges will be included in the bill.
5.	क्रेडिट आधार पर रोगी को दवाईयों की आपूर्ति की जाएगी।	Medicines will be supplied to the patient on credit.
6.	रोगी के लंबे उपचार के लिए, अप-टू-डेट बिल हर दो सप्ताह में भुगतान के लिए बनाया और भेजा जाएगा।	For long treatment of patient, up-to-date bill shall be made and sent for payment every two weeks.
7.	अस्पताल को कुल बिलों का दावा करने का अधिकार होगा। नाबार्ड के कर्मचारियों के चिकित्सा लाभों को नियंत्रित करने वाले प्रावधान के अनुसार कोई भी सुविधा कम नहीं होगी। अस्पताल द्वारा बिल का एक विस्तृत ब्रेक-अप (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत किया जाएगा।	The Hospital will have the right to claim total bills charged. No items will be reduced regardless of whether it is admissible as per provision governing medical benefits of staff of NABARD. A detailed break-up of the bill will be furnished (if required) by the hospital.
8.	बिल अस्पताल द्वारा प्रस्तुत शुल्क की सूची के अनुरूप देय होगा।	The bill shall be raised in conformity with the schedule of charges furnished by the Hospital.
9.	यदि बिलों के संबंध में कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल का प्रशासक इस तरह के स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करेगा।	If any question or need for clarification arises regarding the charges, the Administrator of the hospital shall furnish such clarification forthwith.
10.	नाबार्ड बिल की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर सभी उपचार खर्चों का भुगतान सीधे अस्पताल को लागू टीडीएस/ टैक्स आदि काटने के उपरांत करेगा।	NABARD will pay directly to the hospital all treatment expenses after deducting applicable TDS/ tax etc. within Two Weeks of the receipt of the bill.
11.	करार 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक 02 वर्ष के लिए मान्य है।	The contract is valid from 01 January 2023 to 31 December 2024 for 02 years.

Handwritten signature

Handwritten signature

12.	यदि उपचार /व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो दोनों पक्षों से कोई पक्ष एक महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकते हैं। समझौते की समाप्ति से पहले चल रहे किसी भी अधिकारी के ईलाज को मौजूदा करार के अनुसार उपचार दिया जाएगा जब तक उपचार पूरा नहीं हो जाता है।	If the treatment/arrangements are not found satisfactory both or either party may terminate the agreement by giving one month's notice. Patient admitted before the termination of agreement will be dealt with as per existing agreement no matter when he/ she is released.
13.	दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों, पैकेजों, आउटसोर्स सेवाओं और कमरे के किराए को छोड़कर जांच और प्रक्रियाओं पर ओपीडी और आईपीडी दोनों में 07% की कॉर्पोरेट छूट रहेगी।	Corporate discount of 07 % both in OPD & IPD on investigations and procedures except on medicines, consumables, packages, outsourced services and room rents
14.	यह कि दोनों पक्ष इस करार की अंतर्वस्तु के संबंध में हर समय अत्यंत गोपनीयता बनाए रखेंगे, और कोई भी पक्ष इस करार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए दूसरे पक्ष की किसी भी गोपनीय जानकारी का उपयोग या खुलासा, ऐसे अन्य पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। बशर्ते, इसमें निहित कुछ भी किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को खुलासा करने के लिए किसी भी पक्ष की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। यह प्रावधान इस करार की समाप्ति के बाद भी बना रहेगा।	That both the party shall maintain the utmost confidentiality, regarding the contents of this agreement at all times, and no Party shall use or disclose any confidential information of the other Party for any purpose other than as explicitly permitted by this agreement, without the prior written consent of such other Party. Provided however, nothing contained herein shall affect the ability of the Parties to make disclosure to any governmental authority or any other person under the provisions of any applicable law. This provision shall survive even after the termination of this agreement
15.	यह करार समय-समय पर लागू भारत के कानूनों के अधीन शासित और समझा जाएगा। सभी कानूनी विवाद केवल देहरादून की अदालतों के अधीन होंगे।	This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India as applicable from time to time. All legal disputes shall be subjected to the courts in Dehradun only.
16.	पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। यदि उपरोक्त के अनुसार इसका समाधान नहीं किया जाता है, तो मामले को माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही देहरादून में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।	In case of any dispute between the parties same shall be resolved amicably by both the parties. If same is not resolved as above, the matter shall be referred to arbitrator to be appointed by the parties as per the Arbitration & Conciliation Act, 1996 & the rules framed thereon. Arbitration proceedings shall be conducted at Dehradun and in English language.

Handwritten signature

उनके लिए और उनकी तरफ से For and on behalf of  डॉ० एस०एल० जेठानी / Dr. S.L. Jethani मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / Chief Medical Superintendent स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (SRHU), स्वामी राम नगर, पीओ जॉली ग्रांट, देहरादून 248016 Swami Rama Himalayan University, Swami Ram Nagar, PO- Jolly Grant, Dehradun 248016	उनके लिए और उनकी तरफ से For and on behalf of  25-01-2023 (सुमेर चंद/ Sumer Chand) उप महा प्रबन्धक Deputy General Manager राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 42, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून, 248001 National Bank for Agriculture & Rural Development Plot No. 42, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun 248 001
गवाह Witness:  मुकेश ममगाई/ Mukesh Mamgain सहायक रजिस्ट्रार / Assistant Registrar (HA)	गवाह Witness:  25/01/23 ओमपाल/ Om Pal सहायक महा प्रबन्धक/ Asst. Gen. Manager





